

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
जयपुर, दिनांक: 11.10.2017

अधिसूचना

राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड-2 के उप-खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा नवीन डिजिटल राशन कार्ड बनाने संबंधी कार्य को त्वरित गति से निपटाने के लिए समस्त जिला मुख्यालयों पर स्थित नगर निगम/नगर परिषद तथा नगरपालिका क्षेत्रों में नवीन डिजिटल राशन कार्ड जारी करने हेतु संबंधित जिले के मुख्यालय पर पदस्थापित प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक एवं उपायुक्त/अतिरिक्त आयुक्त/आयुक्त नगर निगम/नगर परिषद को भी प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिकृत करती है।

[क्रमांक एफ. 17(8)खा.वि./न्याय/2012]
राज्यपाल की आज्ञा से,

(प्रति) माथुर

उपायुक्त एवं उप शासन सचिव

जयपुर, दिनांक: 11.10.2017

क्रमांक एफ. 17(8)खा.वि./न्याय/2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, उप शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, राज. जयपुर।
- ✓6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
- ✓7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
- ✓8. समस्त अधिकारीगण, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- ✓9. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि जिले में जारी अधिसूचना के तहत जिन अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है उन्हें अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करें।
10. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सीडी सहित प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान के राजपत्र विशेषांक में आज ही प्रकाशन कराया जाकर 50 प्रतियों सहित विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
- ✓11. समस्त प्रवर्तन अधिकारी, रसद विभाग, राजस्थान।
- ✓12. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को वैबसाइट पर अपलोड करें।
13. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त एवं उप शासन सचिव